राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15236/2023

टीना राठौर पुत्री केसर सिंह राठौर, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी सिहाना, चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से।

2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, जिला बीकानेर, राजस्थान।

3. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, अपने सचिव के माध्यम से, कृषि प्रबंधन संस्थान भवन, दुर्गापुरा, जयपुर, राजस्थान।

4. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर, अपने अध्यक्ष के माध्यम से, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर दुर्गापुरा, जयपुर, राजस्थान।

---प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री केपीआरएस देवड़ा।

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री विनीत सनाढ्य, श्री प्रियांशु गोपा द्वारा सहायता प्राप्त

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश (मौखिक)</u>

<u>06/05/2024</u>

1. इस याचिका में अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिवादियों को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वे दिनांक 16.12.2022 (अनुलग्नक 4) के विज्ञापन के अनुसार विशेष शिक्षा शिक्षक स्तर-I विशेष रूप से सक्षम (VI/पूर्ण अंधापन) श्रेणी के पद पर याचिकाकर्ता को नियुक्ति प्रदान करें।

2. याचिका में दिए गए प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि दिनांक 16.12.2022 (अनुलग्नक 4) को विशेष शिक्षा शिक्षक स्तर-I विशेष रूप से सक्षम (VI/पूर्ण अंधापन) श्रेणी के पद के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। याचिकाकर्ता ने भी आवेदन किया था।

2.1. याचिकाकर्ता के योग्य होने और पात्र होने के कारण उसे भर्ती प्रक्रिया के अगले स्तर यानी दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बुलाया गया। उसने भर्ती के सभी दौर सफलतापूर्वक पूरे किए और 120.53 के कट-ऑफ के मुकाबले 129 अंक प्राप्त किए।

2.2. हालांकि, 19 जनवरी, 2023 तक डी.एल.एड. की पात्रता योग्यता न होने का हवाला देते हुए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई। इसलिए, तत्काल रिट याचिका।

3. उपरोक्त तथ्यात्मक विवरण की पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिद्वंद्वी तर्कों को सुना है और मामले के रिकॉर्ड को देखा है।

4. इस न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए जो संक्षिप्त विवाद उभरता है, वह यह है कि क्या विकलांग व्यक्ति को कट-ऑफ तिथि से पहले अपेक्षित डिग्री प्राप्त करने से छूट दी गई है?

5. इसका उत्तर खोजना बहुत कठिन नहीं है और यह अनिवार्य रूप से नकारात्मक होना चाहिए। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह ध्यान में रखना है कि एक पात्र/योग्य विकलांग व्यक्ति को पहले से ही विकलांग व्यक्तियों के अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 के आधार पर प्रासंगिक श्रेणी के तहत विशेषाधिकार दिया गया है।

6. यहां एक मामला है, जहां एक व्यक्ति, जिसके पास कट ऑफ तिथि पर अपेक्षित योग्यता नहीं थी, लेकिन वह उससे छूट चाहता है। न तो संबंधित नियमों में ऐसा प्रावधान है और न ही उदार कानून, जिसके तहत आरक्षण दिया जाता है, विकलांग व्यक्ति को ऐसी छूट प्रदान करता है।

7. जबकि इस न्यायालय को याचिकाकर्ता के प्रति सहानुभूति है, जिसे विकलांग बताया गया है, लेकिन साथ ही, भर्ती के मामलों में पात्रता की शर्तों को अनिवार्य रूप से पूरा किया जाना चाहिए, तभी कोई योग्यता में छूट की मांग कर सकता है। चूंकि याचिकाकर्ता के पास अपेक्षित योग्यता नहीं है, इसलिए वह स्पष्ट रूप से पात्र नहीं है, और इस प्रकार, उसकी उम्मीदवारी को प्रश्नगत पद पर चयन के लिए विचार नहीं किया जा सकता है।

8. हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। खारिज।

9. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा), न्यायाधीश

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।